

निगरानी 859-III-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश भोपाल बैच।

प्रकरण .... निग./I/वर्ष-2014-15

ग्राम पांडाडो, तह. बुधनी, जिला सीहोर,

156

श्रीमति रेखापाल पत्नि श्री राजेश पाल,  
आयु- वयस्क, निवासी- ग्राम तालपुरा,  
तहसील- बुधनी, जिला- सीहोर, मध्यप्रदेश।

निगरानीकर्ता

**विरुद्ध**

श्री पी.के. महेश्वरी आत्मज श्री पी.के. महेश्वरी,  
आयु- वयस्क, निवासी- ई-3/22, अरेरा कालोनी,  
तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल, मध्यप्रदेश।

प्रतिनिगरानीकर्ता

मध्यप्रदेश भू.रा.संहिता की धारा 50 के तहत निगरानी

अधीक्षक

कार्यालय कमीश्नरी महोदय,

भोपाल संभाग, भोपाल

निवेदन है कि निगरानीकर्ता विद्वान तहसीलदार बुधनी द्वारा राजस्व प्रकरण

क्रमांक 26/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2014 से

असंतुष्ट होकर निम्नालिखित तथ्यों आधारों पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत


करता है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 869-तीन/15

जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-6-2015	<p>आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं अवधि के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-12-2014 के विरुद्ध दिनांक 17-3-2015 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । साथ में विलंब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । विचारोपरान्त अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है ।</p> <p>2 ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । निगरानी ग्राह्य की जाती है । इस निगरानी में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2014 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर देकर 3 माह में प्रकरण का निराकरण करें । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> ( मनोज गोयल ) अध्यक्ष</p>	